कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, जिला नारायणपुर (छ.ग.)

क्रमांक/604/कलेक्टर/भू–अर्जन/प्रस्तुतकार/2026 नारायणपुर, दिनांक 16/02/2026

// अधिसूचना //

राजस्व प्रकरण क्रमांक – 202510170400028/अ–82/2024–25, चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं :–

– अनुसूची –

भूमि का विवरण						धारा 12 अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विरण
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	प्रमावित रकबा (हे. में)		
नारायणपुर	नारायणपुर	बखरूपारा	310	0.0120	0.00283	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी, नारायणपुर जिला नारायणपुर	नारायणपुर के बखरूपारा से खड़ीबहार तक उच्चस्तरीय पुलिया सह सड़क डिवाइडर एवं नाली निर्माण कार्य
			311/1	0.3750	0.00182		
			311/2	0.0940	0.00154		
			311/3	0.0420	0.00405		
			311/4	0.1192	0.00154		
			311/6	0.0200	0.00154		
			311/7	0.0200	0.00154		
			2106/2	0.3690	0.01215		
			299/1	0.4100	0.00810		
			2306/3	0.4925	0.00972		
			298	0.4820	0.00405		
			297	0.6580	0.00101		
			296/1	1.0270	0.01862		
			2305/1	0.3720	0.00243		
			296/2	1.0280	0.01377		
			2305/2	0.3710	0.00243		
			2308	0.8950	0.00405		
			2306/2	0.3670	0.00850		
			2302	0.4770	0.00648		
			320	0.6980	0.01336		
			2106/1	1.6610	0.03765		
			2104	0.2440	0.02429		
			2103/1	0.6080	0.02429		
			2102/1	0.2190	0.00911		
			2102/2	0.8090	0.03401		
			2102/3	0.2350	0.01518		

			2102/4	0.1740	0.02724		
			2108	0.0490	0.00283		
			2101/1	1.1730	0.02024		
			2101/2	0.9710	0.02024		
			2099/8	0.5820	0.00680		
			2099/9	0.4050	0.03174		
			2099/2	0.2650	0.02777		
			2099/6	0.5860	0.05162		
			2109/1	0.2150	0.00911		
			2098/1	0.4910	0.04130		
			2109/4	0.1075	0.00202		
			2098/4	0.2455	0.02186		
			2109/3	0.2150	0.00202		
			2098/3	0.4910	0.04494		
			2396	0.2230	0.01296		
			318/1	0.9950	0.00223		
			2099/3	0.2650	0.04049		
			2099/4	0.2650	0.04008		
			318/2	0.9900	0.00223		
			2099/5	0.2650	0.04453		
			2100/4	0.6480	0.01587		
			2100/2	0.4450	0.02267		
			2100/3	1.1190	0.13720		
			2100/1	0.0930	0.00648		
			2109/2	0.1075	0.00607		
			319	0.5910	0.01336		
			2291	0.8740	0.00243		
			2303/1	1.5874	0.01336		
			2301/1	0.4126	0.00225		
			2301/5	0.0400	0.00093		
			2486	0.1300	0.00648		
			316	0.7350	0.00891		
			2459/1	0.7720	0.02632		
			2460	0.1050	0.01579		
कुल 43 खाता				**28.7372**	**0.99442**		
			2093	1.5480	0.20648		
			2089/2	1.5050	0.17146		
			1844	0.1430	0.01781		
			2366/1	0.2230	0.04231		
			2366/2	0.2220	0.03785		
			2077	0.0850	0.01474		
नारायणपुर	नारायणपुर	खड़ीबहार	2079	0.0630	0.00623		
			2080	0.0650	0.01134		
			2081	0.1460	0.03061		
			2083	0.0280	0.01336		
			2397/1	0.0940	0.00332		
			2397/2	0.0890	0.00332		
			2397/3	0.0880	0.00332		

			2397/4	0.0880	0.00332		
			2394/1	0.0650	0.00486		
			2394/2	0.0140	0.00486		
			2393	0.0810	0.00182		
			2392/1	0.0370	0.00243		
			2392/4	0.0360	0.00117		
			2392/3	0.0800	0.00142		
			2414/3	0.0200	0.00385		
			2414/4	0.0160	0.00385		
			2413	0.1010	0.00903		
			2410/1	0.0400	0.00162		
			2408/1	0.0240	0.00142		
			2408/13	0.0240	0.00142		
			2408/14	0.0240	0.00142		
			2408/15	0.0240	0.00142		
			2408/8	0.1210	0.00425		
			2408/7	0.2510	0.00486		
			2408/3	0.0510	0.00170		
			2408/16	0.0480	0.00170		
			2408/17	0.0480	0.00170		
			2408/18	0.0480	0.00170		
			2408/19	0.0480	0.00170		
			2408/2	0.0200	0.00202		
			2408/10	0.0200	0.00202		
			2408/11	0.0200	0.00202		
कुल 37 खाता				**5.6480**	**0.62972**		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नारायणपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नारायणपुर, जिला नारायणपुर को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

नम्रता जैन
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क्रमांक / 605 / कलेक्टर / भू–अर्जन / प्रस्तुतकार / 2026 नारायणपुर, दिनांक 16.02.2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण (भ./स.) जिला नारायणपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र एवं स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधाकरी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी नारायणपुर को उपलब्ध करावे।
4. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ। कृपया इसे राजपत्र भाग– 1 में प्रकाशित कर एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला नारायणपुर को सूचनार्थ। कृपया अधिसूचना को छ.ग. शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. तहसीलदार नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, अनुविभाग कार्यालय में करवा कर रिपोर्ट भेजना एवं ग्राम में मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. नगर पालिका परिषद नारायणपुर को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में चस्पा कराने एवं मुनादी कराने की व्यवस्था कर सूचित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नम्रता जैन)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग